उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, कालाकंकर हाउस, नवीन
भवन, पुराना हैदराबाद, लखनऊ– 226007

पत्रांकः 10589 **/विधि प्रकोष्ठ/2026–27** **दिनाँकः 30/10/2026**

कार्यालय–आदेश

प्राधिकरण की 216 वीं बैठक दिनांक 08.10.2026 एवं 09.10.2026 के एजेण्डा बिन्दु–216.08 पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मा. एनसीएलटी द्वारा आई.बी.सी. की धारा–31 के अन्तर्गत मूल प्रोमोटर (कॉर्पोरेट डेटर) के सम्बन्ध में सक्सेजफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकान्ट का सी.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप मूल प्रोमोटर (कॉर्पोरेट डेटर) के विरूद्ध प्राधिकरण में पंजीकृत एवं लम्बित उन शिकायतों एवं आदेशों के निष्पादन की कार्यवाही, जो रेजोल्यूशन प्लान के स्वीकृत होने की तिथि (निम्न तालिका में इंगित) से पूर्व प्राधिकरण के समक्ष संस्थित की गई थी, को प्राधिकरण के एकल आदेश द्वारा अबेट कर दिया जाएगा।

तत्क्रम में नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल में आई.बी.सी. की धारा–31 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 मूल प्रोमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के मामलों में सी.आई.आर. पी. की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सम्बन्धित समस्त 03 मूल प्रोमोटर्स (कॉर्पोरेट डेटर्स) के विरूद्ध निम्न तालिका में निहित विवरण के अनुसार रेजोल्यूशन प्लान के स्वीकृत होने की तिथि (निम्न तालिका में इंगित) से पूर्व प्राधिकरण में लम्बित शिकायतों की सुनवाई तथा आदेशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही को एतदद्वारा अबेट किया जाता है:–

क्र.स.	मूल प्रोमोटर	धारा–7 के आदेश की तिथि	सक्सेजफुल रिजॉल्यूशन अप्रूवल तिथि	**सक्सेजफुल रिजॉल्यूषन एप्लीकेन्ट (कम्पनी)**
1.	JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED	03-06-2024	17-03-2026	Adani Enterprises Limited
2.	ANS Apartments	06.12.2019	09.06.2026	Goldstar Realtors

	Private Limited			Limited
3.	Bulland Realtors Private Limited	31.07.2023	11.08.2026	M/s Saviour Builders Private Limited

यह आदेश उपरोक्त मूल प्रोमोटर्स के विरूद्ध प्राधिकरण में धारा–31 के अन्तर्गत पंजीकृत शिकायतों के सम्मुख प्रदर्शित किया जाए और पक्षकारों को सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अध्यक्ष

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (मूल पर नहीं):–

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
2. समस्त मा. सदस्य, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
3. न्याय निर्णायक अधिकारी लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. विधि परामर्षदाता।
5. संयुक्त सचिव/उप सचिव/रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर उ.प्र. रेरा लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. रेरा को उक्तानुसार आदेश प्राधिकरण के पोर्टल पर प्रदर्शित करने तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु।
7. समस्त लॉ–क्लर्क–कम–रिसर्च–असिस्टेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(महेन्द्र वर्मा)
सचिव